Social Welfare

In the last 4 ½ years:

Total 1024 Anganbadi Kendras are functional and work on 183 new anganbadi centers and 108 mini anganbadi centers are under progress.

Under Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2425 women were benefited and under Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana, 14411 were benefited.

मुंगेर जिले में कुल 1024 vkxuckMh dsUnz कार्यरत् है। मुंगेर जिले में 183 u;s vkxuckM+h केन्द्र एवं 108 feuh vkxuckMh केन्द्र पर मैपिंग तथा सर्वे का कार्य चल रहा है तथा अगले माह से चयन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

eq[;ea=h dU;k fookg ;kstuk से 2425 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। eq[;ea=h dU;k lqj{kk योजनान्तर्गत 14411 लाभुकों की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन UTI को उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा संपोषित 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' का संचालन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के मार्गदर्शन में महिला विकास निगम द्वारा संयोजित इस योजना में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं अवसरों के प्रति क्षमता निर्माण/विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना का लाभ गाँवों की महिलाओं मुख्यतः कमजोर और वंचित समुदाय से जुड़ी महिलओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना राज्य में महिला विकास के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करती है और समुदाय आधारित संगठनों और नागर समाज संगठनों के साथ साझेदारी राज्य भर में अनुपालित हो रही है।

आर्थिक सशक्तिकरण योजनायें

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत् स्वयं सहायता समूह के गठन/पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य राज्य के चिन्हित जिलों के प्रखण्डों में संचालित किया जा रहा है। समाज के अभिवंचित निर्धन समुदाय की महिलाओं को समूहीकृत कर सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति क्षमता विकास कर मुख्यधारा में शामिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला विकास निगम विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहित कर रही है। निगम का मानना है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा संसाधन तक पहुँच के लिए सक्षम बनाने का सहायक हो सकते हैं। आयवर्द्धक गतिविधियों के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओ की आय वृद्धि करने के प्रति उन्हें प्रेरित करना ताकि उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके, यह भी प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके स्वयं सहायता समूह का गठन करना एवं पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूहों का पोषण करने का निगम द्वारा एक सफल प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत

- नये समूहों का गठन उन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ निगम द्वारा पहले से भी समूह बनाए गए हैं ताकि कोई भी महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्या बनने से वंचित न रह जाए।
- पुराने समूहों को आत्म निर्भर बनाने के लिए उनका निरंतर पोषण करना तथा उनका बिहार स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के तहत् स्वयं सहायता समूहों के महासंघ के रुप में पंजीकरण कराना।
- उद्यमिता प्रोत्साहन की दिशा में स्व–नियोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पर बल देना एवं व्यक्तिगत आयवर्द्धक गतिविधि को सुदृढ़ करने हेतु अवसरों का ज्ञान कराना।
- स्वयं सहायता समूहों को कारगर बनाने की दिशा में उनके लिए प्रशिक्षण, उत्पादन एवं विपणन की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना।

- उत्पादन एवं विपणन केन्द्र की स्थापना करना।

परिचालन : इस योजना का परिचालन निगम द्वारा स्वयं सहायता समूहों के महासंघों और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। निगम पुराने कार्यक्षेत्र में नए समूह के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों के महासंघों से साझेदारी करता है। साथ ही नए कार्यक्षेत्र में बिहार सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयं सहायता समूहो के निर्माण एवं पोषण में विशिष्ट योग्यता रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध कर नए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण एवं पोषण किया जाता है।
लाभार्थी : महिला विकास निगम द्वारा चिन्हित जिलों के प्रखण्डों में निवास करने वाली वैसी महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हों अथवा अभिवंचित समुदाय से संबंद्ध हो स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर योजना का लाभ उठा सकती हैं।

स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियों को कार्यकुशल बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण

गठन और पोषण की प्रक्रिया के तहत् निर्मित स्वयं सहायता समूहों को निगम प्रखण्ड स्तर पर महासंघ के गठन हेतु क्षमता विकास तथा प्रोत्साहित करता है और उनके प्रखण्ड स्तरीय संगठन को इस योजना के तहत् तकनीकी सलाह एवं सहयोग प्रदान किये जाते हैं। निबंधन की प्रक्रिया बिहार स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप किये जाते हैं। इसके तहत् गठित सहाकारी समितियों के सांगठनिक विकास एवं विभिन्न आयवर्द्धक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना के साथ ही तकनीकी सहयोग भी प्रदान किये जाते है। इस प्रक्रिया के तहत् निगम कार्यों को भी संपादित करता है–

- राज्य में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को पटना एवं उसके आस–पास के कुछ बड़े शहरों में पहुँचाना तथा एक संगठित बाजार में उचित दर पर उपलब्ध कराना एवं गाँव की उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना।
- जीविकोपार्जन के लिए कौशल/क्षमता के आधार पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाना।
- माँग के अनुसार उत्पादन के लिए पहल करना तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उपरांत उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना।

परिचालन : सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयानित विशेषज्ञ व तकनीकी संस्थाओं के सहयोग निगम स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण/क्षमता विकास/विशेष कार्यक्रम आदि आयोजित कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
लाभार्थी : निगम के गठन एवं पोषण प्रक्रिया के तहत् संगठित महासंघ।

स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियाँ के लिए अवसरों की उपलब्धता

स्वयं सहायता समूहों और उनकी प्रखण्ड स्तरीय सहकारी समितियों के स्वावलम्बी बनाने के उद्देय से निगम उन्हें कार्यकुशल बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, सेवा प्रक्षेत्र के लिये प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा परियोजना कार्यान्वयन के लिये अध्ययन एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में तकनीकी

एवं वित्तिय सहयोग प्रदान करता है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ा कर उनके लाभ से समूहों की सदस्यों को जोड़ने के प्रयास भी किसे जाते हैं।

परिचालन : सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयानित विशेषज्ञ व तकनीकी संस्थाओं के सहयोग निगम स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण/क्षमता विकास/विशेष कार्यक्रम आदि आयोजित कर उद्‌देश्यों की प्राप्ति की जाती है।

लाभार्थी : निगम के गठन एवं पोषण प्रक्रिया के तहत् संगठित महासंघ एवं सदस्य स्वयं सहायता समूह।

प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों को प्रारंभिक पूँजीगत कोष निर्माण के लिए अनुदान

प्रारंभिक पूंजी कोष 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसे स्वयं सहायता समूह की अपने प्रखण्ड स्तरीय महासंघ सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आधार सहभगिता पूर्ण सूक्ष्म नियोजन के अनुसार सदस्यों की मांग है। प्रति समूह अधिकतम् रुपये 20000/— दी जाने वाली यह राशि इतनी अधिक नहीं है कि परियोजना के अन्दर आने वाले सभी परिवारों की गरीबी को मिटाने में मदद कर सके, इसलिए इसका उपयोग उत्प्रेरक की तरह उनकी ऋण साख बनाने में किया जाता है। जिससे वे बाद में मुख्य धारा की ऋण देने वाली संस्थाओं, जैसे कि बैंक आदि से ऋण ले सकें। इसका उद्‌देश्य है गरीबों की आजीविका को बेहतर और उनकी संस्था को संवहनीय बनाना।

परिचालन : प्रारंभिक पूँजी कोष की राशि बिहार स्वाबलम्बी अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित स्वयं सहायता समूहों के महासंघों को अनुदान के रुप में दिये जाते हैं। जिसे सदस्य स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के तहत् सदस्यों की मांग के अनुरुप ऋण के रुप में दिया जाता है।

लाभार्थी : निगम द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूहों के महासंघ और उनके सदस्य।

सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण

महिला विकास निगम उचित डिग्री प्राप्त गरीब महिलाओं एवं किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं व्यवसाय कौशल पर उनके क्षमता विकास के उद्‌देश्य से सेवा प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण की योजना चला रहा है। योजना के तहत् चयनित किशोरियों एवं महिलाओं को हाउस कीपिंग, व्यूटीशियन, कम्प्यूटर एवं सेल्स मैनेजमेंट का प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र में विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता धारक प्रशिक्षण संस्थानों/संस्थाओं द्वारा दिलवाया है। यह प्रशिक्षण चयनित प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क होता है।

परिचालन : इस योजना का संचालन बिहार सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित सेवा संवर्ग में व्यावसायिक संस्थान द्वारा किया जाता है, जिसे कार्यक्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विशेषज्ञता और अनुभव हो।

लाभार्थी : इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की विधवाओं एवं विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वैसी महिला एवं किशोरी, जिनकी पारिवारिक आय साठ हजार रूपये प्रति वर्ष से कम हो या

जो अनाथाश्रम, बालगृह तथा रक्षा गृह की निवासी है। लाभार्थी के चयन में आरक्षण के सिद्धांत का पालन किया जाएगा तथा विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए अलग–अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाएगी।

सामाजिक सशक्तिकरण योजनायें

महिला हेल्पलाईन योजना

महिला हेल्पलाईन द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। समाज में पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में हेल्पलाईन योजना के संचालन करने की दिशा में पहल किये जा रहे हैं। हेल्पलाईन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है तथा उनके साथ हो रही विभिन्न प्रकार की हिंसा के खिलाफ मदद करता है। दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को हेल्पलाईन के द्वारा सहायता दी जाती है।

परिचालन : जिला प्रशासन के नेतृत्व में राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यता धारक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला हेल्पलाईन का संचालन जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है।

लाभार्थी : किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलायें जिला मुख्यालयों में कार्यरत् महिला हेल्पलाईन में संपर्क कर सकती हैं।

अल्पावास गृह

उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक अल्पावास गृह की स्थापना की जा रही है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1986 हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसारर महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद–फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना अल्पावास गृह का मुख्य उद्देश्य है।

परिचालन : जिला प्रशासन के नेतृत्व में राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यता धारक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अल्पावास गृह का संचालन जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है।

लाभार्थी : किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलायें, उनके संबंधी, आदि जिला मुख्यालयों में कार्यरत् अल्पावास गृह में संपर्क कर सकती हैं।

पालनाघर की स्थापना

कामकाजी महिलाओं जिन्हें अपने कार्य के दौरान 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती है, जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नहीं हो, राज्य सरकार ने वैसे बच्चों के लिये राज्य में 100 पालनाघर की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा पालनाघर की प्रति इकाई में 10 बच्चे के लिये स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अल्पाहार, अन्य उपरकणों की व्यवस्था रहेगी। खिलौने एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ–साथ मनोरंजन का प्रावधान भी किया गया है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यताधारक अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सरकारी–गैर सरकारी संस्थाओं में पालना घर संचालित किये जाने हैं।

लाभार्थी : सरकारी–अर्ध सरकारी निकायों की वैसी कामकाजी महिलायें जिन्हें अपने कार्य के दौरान 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती है तथा जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नही हो।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कानून का व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के जरिये सक्षम वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में दहेज उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग, बाल–विवाह, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, कानूनी साक्षरता, आर्थिक स्वावलम्बन के मुद्दों पर लोक कलाओं की प्रस्तुति की जा रही है। साथ ही समुदाय और अन्य हितभागियों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें महिलाओं के प्रति व्यवहार परिर्वतन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें जो सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम यथा लोक नाट्य प्रदर्शन की योग्यता एवं अनुभव रखती हों राज्य के विभिन्न जिलों में गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

लाभार्थी : योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के लिए एक सक्षम वातावारण का निर्माण करना है और संबंधित सूचनाओं को महिलाओं और हितभागियों के बीच प्रचारित करना है।

समाज के विशेष समुदाय वर्ग यथा भिखारी, नट, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे समुदाय विशेष का लोक कलाओं और प्रदर्शनकारी विधाओं में क्षमता विकास कर उनका सांस्कृतिक दल तैयार करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। समुदाय संवर्ग की पहचान कर उनके बीच की प्रदर्शनकारी सांस्कृतिक प्रतिभाओं में व्यावासयिक गुणवत्ता का विकास किया जाना है, ताकि उनकी कला आजीविका का एक माध्यम बन सके और विकास की मुख्यधारा में उन्हें शामिल कराया जा सके।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशेष समुदाय समूह के साथ काम करने की विशेषज्ञता रखने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से यह कार्य किया जाना है।

लाभार्थी : भिखारी, रेड लाईट क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें, नट, महादलित, अभिवंचित समुदाय समूह के कलाकार।

सामाजिक पुनर्वास कोष

अनैतिक मानव पणन कानून 1956 के तहत् पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों का के त्वरित पुनर्वास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं समाजिक) आवश्यकताओं को पूरा करने अस्तित्व परियोजना के तहत् आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

परिचालन : जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सामाजिक पुर्नवास समिति गठित की गई है और प्रबंध निदेशक महिला विकास द्वारा सभी जिलों को अनुपातिक राशि आवंटित की जा चुकी है।

लाभार्थी : अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत् पीड़ित महिला

रक्षा गृह

जो महिलाओं एवं किशोरियाँ अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम, 1956 एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत उत्पीड़ित हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के उद्देश्य से एक रक्षा गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाया जा सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष मे पटना जिले में पचास विस्तर वाले एक रक्षा गृह की स्थापना का प्रक्रियाधीन है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जो रक्षा गृह के संचालन एवं समन्वयन में विशेष योग्यता रखती हैं के माध्यम से संचालन किया जाएगा।

लाभार्थी : अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम 1956 एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम 2005 के तहत् पीड़ित महिला।

कामकाजी महिलओं के लिए छात्रावास

कामकाजी महिलायें जो अपने घर–परिवार से दूर शहरों में, चाहे वे किसी अस्पतालों, महाविद्यालयों, विद्यालयों अथवा किसी कार्यालय में कार्यरत हों, जो विधवा या परित्यक्ता हैं, किसी संस्था में नियोजित हों, उनके लिये सरकार द्वारा महिला छात्रावास का संचालन करने का प्रस्ताव है। इस छात्रावास की एक इकाई में तत्काल 50 विस्तर का प्रावधान रहेगा। चालू वर्ष में इसे पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिले में प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जो रक्षा गृह के संचालन एवं समन्वयन में विशेष योग्यता रखती हैं के माध्यम से संचालन किया जाएगा।

लाभार्थी : सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वशासी निकायों के कार्यालयों में काम करने वाली महिला।

सांस्कृतिक सशक्तिकरण

महिला सांस्कृतिक मेला का आयोजन

मेला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के परम्परागत कौशल तथा लोक चित्रकला, लोकनाट्यकला, लोकगीत, सुगम संगीत, लोकसंगीत को जीवित रखना है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनके उत्पादन, आदि का प्रदर्शन करना भी मेला का एक अहम उद्देश्य है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएँगे।

परिचालन : राजधानी पटना में विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से निगम मेला का आयोजन करेगा और राज्य के अन्य प्रमण्डल मुख्यालयों में मुख्यालय के जिला पदाधिकारी के माध्यम में महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन किया जाना है।

सृजन (लोक कलाओं का पुर्नरुथ्थान)

राज्य की विलुप्त होती सांस्कृतिक परम्पराओं और इन कलाओं से जुड़े समुदाय के बीच कला की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ा कर तथा आजीविका के साथ जोड़ कर राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

परिचालन : निगम द्वारा करवाये गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित कलाओं की क्षमता विकासित की जानी है ताकि कलाओं में व्यावसायिक कलात्मकता और गुणवत्ता का विकास हो साथ इन्हे सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में स्थान दिला कर पहचान को स्थापित करना है।

लाभार्थी : राज्य की विलुप्त होती कलाओं से जुड़े मूल कलाकार एवं समुदाय।

स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार की योजना

महिला स्वयं सहायता समूहों को नवाचारी योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रखंड में एक तथा प्रत्येक जिले तीन–तीन पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड स्तरीय पुरस्कार 5,000 रू0 का होगा तथा जिला स्तरीय पुरस्कार 20,000 रू0 15,000 रू0 एवं 10,000 रू0 के होंगे।

नवाचारी योजना (Innovative Scheme)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता आधारित संघों एवं निबंधित गैर सरकारी संगठनों को नवाचार योजना की प्रस्तुति करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्ग की गरीब प्रताड़ित एवं उद्यमी महिलाओं को उनके द्वारा किये गये नये तरीके के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिये सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस योजना को चलाया जाएगा।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जिनके पास महिलाओं के विकास एवं समेकित सशक्तीकरण की प्रभावी और परिणामदायक अवधारणा प्रस्ताव हो, उनका विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन कर आवधारणा को सहयोग व समर्थन कर अनुपालित किया जाना है।

बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों के क्षमता निर्माण मुद्दों पर आधारित इकाईयों द्वारा जीविकोपार्जन/स्थिति सर्वेक्षण के लिये विभिन्न तकनीकों का अनुसंधान किया जायेगा तथा महिला/किशोरियों के विकास/कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की जानी है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें/संस्थान जिनके पास सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण का प्रभावी और परिणामदायक अवधारणा प्रस्ताव हो, उनका विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन कर आवधारणा को सहयोग व समर्थन कर अनुपालित किया जाना है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

योजना का उद्‌देश्यः

- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना
- कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना
- लिंग अनुपात में वृद्धि लाना
- जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य समूह

- मुख्यमंत्राी कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को देय
- इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली बच्चियों को देय
- इस योजना का लाभ देय तिथि के पश्चात् जन्मी एक परिवार की मात्रा दो जीवित कन्या सन्तानों को देय

अनुदान का स्वरूपः

- इस योजना के तहत् कन्या को जन्म के समय रू0 2000/– {रूपये दो हजार मात्र} की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यूटीआई म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रता

- इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ही देय है।
- बच्ची के जन्म का विधिवत् निबंधन जन्म के 01 वर्ष के अन्दर कराया गया हो।
- योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिये।

आवेदन की प्रक्रियाः

- लाभ लेने हेतु आवेदन पत्रा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त करें।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आवेदन पत्रा मु∂ त उपलब्ध है।
- आवेदन पत्रा विहित प्रपत्रा में भर कर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- स्वीकृत पदाधिकारी क्रमवार आवेदन पत्रा को पंजीकृत करेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात

- बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति

भुगतान की प्रक्रियाः

प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी बच्ची के 18 वर्ष आयु पूरा कर लेने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा परिपक्वता राशि आहरण पत्र उनके बैंक खाता संख्या यूटीआई म्यूचुअल फंड को समर्पित किया जायेगा। तत्पश्चात उस प्रमाण पत्र की परिपक्वता राशि यूटीओई म्यूचुअल द्वारा कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी।

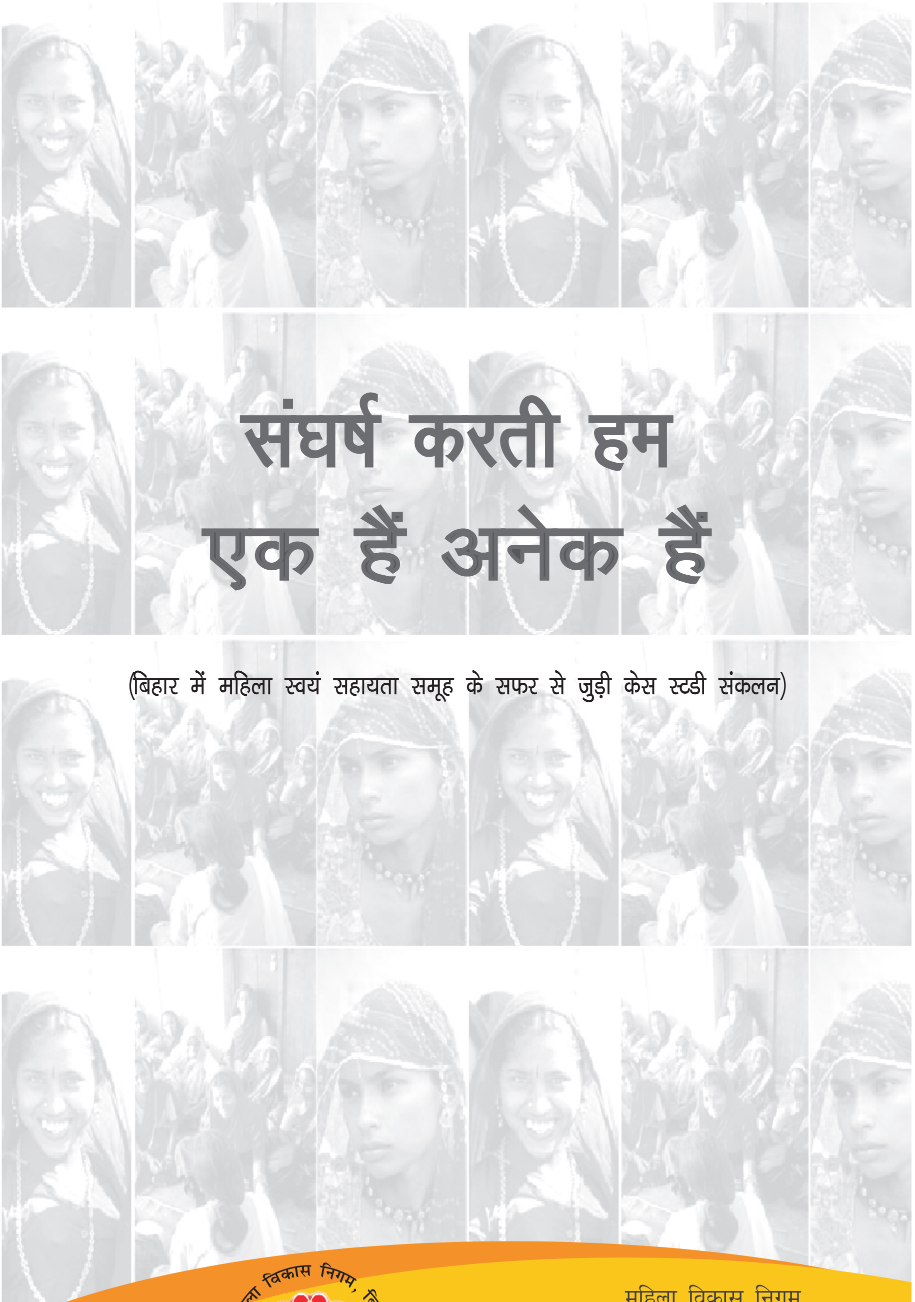

संघर्ष करती हम
एक हैं अनेक हैं

(बिहार में महिला स्वयं सहायता समूह के सफर से जुड़ी केस स्टडी संकलन)

महिला विकास निगम, बिहार
कल्याण विभाग

महिला विकास निगम
(समाज कल्याण विभाग ,बिहार)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर.सी.सिंह पथ,
बेली रोड, पटना
फोन : 0612-2234096, 2200695, 2207843

चुनौती – अंधविश्वास को

जहानाबाद

जिला जहानाबाद के मोहनगंज प्रखण्ड के जैतीपुर गांव में कुष्ठ रोग से पीड़ित उषा देवी ने समाज के तानों एवं छूआछूत का जहर पीकर उच्च शिक्षा प्राप्त की । उनके माता–पिता ने अत्यंत कठिनाइयों के बाद राजकुमार पाण्डे से उनका विवाह कराया, परन्तु विवाह के पश्चात् भी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया । अंधविश्वास से जकड़े हुए गांव के लोगों ने उनके विषय में तरह–तरह की गलत बातें बनानी शुरू कर दी । बेचारी उषा धीरे–धीरे समाज से दूर होती चली गई । इस विकट एवं निराशाजनक परिस्थिति में परिवर्तन मोकिमपुर सामाजिक संस्था के सचिव श्री अशोक कुमार ने उनका सहयोग दिया। उनकी संस्था महिला विकास निगम द्वारा संचालित स्वयंसि़द्धा परियोजना के अंतर्गत कार्य करती है। अशोक के सहयोग से उषा देवी ने जैतीपुर गांव से कुष्ठ रोग के खिलाफ जंग की शुरूआत की । उन्होंने यह फैसला कर लिया कि गांव में पनप रहे इस अंधविश्वास को वे जड़ से काट फेकेंगी। इस लड़ाई में उन्हें ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु, वे लड़ती रहीं । संस्था के सहयोग से उन्होंने जैतीपुर गांव में एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया । इस समूह के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया । इसके फलस्वरूप समूह की सभी महिलाओं ने उनका सहयोग दिया । सभी समूह सदस्यों ने पंचायत का पैदल मार्च किया और गांववासियों में अंधविश्वास मिटाने का नारा दिया ।

उनके इस कार्य से प्रभावित होकर गांव के मुखिया ने समाज में सभी को एकजुट होकर रहने की सलाह दी, साथ ही साथ उषा देवी को आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी भी दी गयी। आज उषा अपने पति एवं बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं । सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उषा देवी के साहसिक पहल ने उन्हें न केवल महिलाओं के बीच बल्कि सम्पूर्ण समाज में एक उच्च स्थान प्रदान किया ।

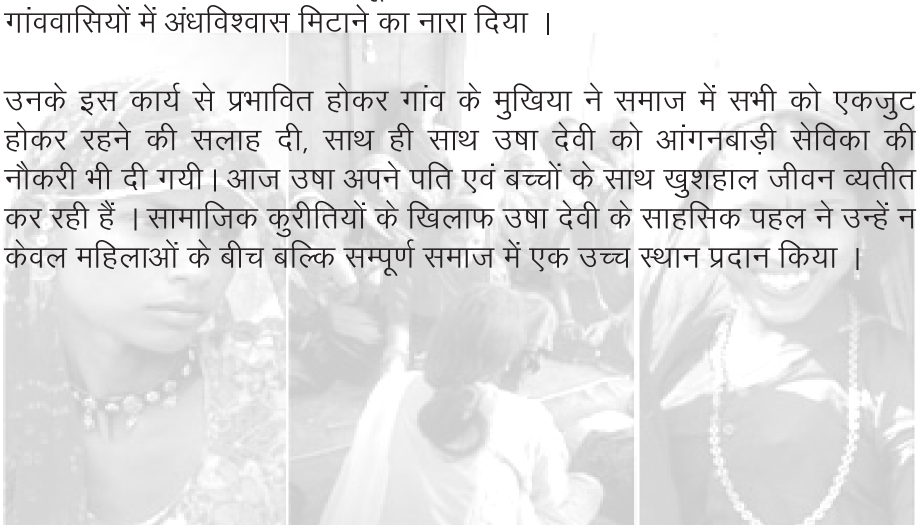

बदल गई किस्मत

मधुबनी

चित्रलेखा देवी का विवाह गोपाल साह नामक एक बेरोज़गार युवक से सम्पन्न हुआ। वे दोनों मधुबनी जिला के कचहरी होला गांव के निवासी हैं। रोजगार की तलाश में गोपाल दिल्ली चला गया जहां उसे एक छोटी सी नौकरी मिली । तत्पश्चात् गोपाल ने चित्रलेखा को अपने पास बुला लिया। इस दौरान चित्रलेखा दो बच्चों की मां भी बन गयी । दूसरे बच्चे के जन्म के बाद वह कुछ दिनों के लिए जयनगर अपने माइके गयी।

इस बीच उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और चित्रलेखा को वापस दिल्ली बुलाने से इनकार कर दिया। पति के इस व्यवहार से चित्रलेखा टूट गयी । बच्चों के भविष्य ने उसे इतना चिंतित किया कि उसने अपने पति पर मुकद्दमा ठोक दिया। अदालत ने यह फैसला दिया कि चित्रलेखा एवं उसके बच्चे की देख–रेख का ख़र्च उसके पति गोपाल को उठाना पड़ेगा। किन्तु इस फैसले के बावजूद गोपाल ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी कि तभी स्वयंसिद्धा परियोजना उसके जीवन में एक आशा की किरण लेकर आयी जिसके फलस्वरूप मैट्रिक पास होने के कारण चित्रलेखा को जिला साक्षरता समिति में साक्षरता कार्यक्रम कि संचालिका की जिम्मेदारी दी गई । चित्रलेखा ने पूरे लगन से अपने पद पर काम किया और निरक्षरों को साक्षर बनाने में भरपूर योगदान दिया । 2001 के पंचायत चुनाव में चित्रलेखा निर्विरोध वार्ड सदस्या चुन ली गई ।

वाह क्या कहना !

वैशाली

महिला विकास निगम के द्वारा संचालित स्वयं सिद्धा परियोजना के तहत सेंटर डायरेक्ट नामक एक स्वयं सेवी संस्था पॉड पंचायत में स्वयं सहायता समूह बनाने का काम करती है। इसी संस्था के सहयोग से गठित देव स्वयं सहायता समूह में रीना देवी सचिव के पद पर कार्य करती थीं । इस समूह में कुल मिलाकर सोलह सदस्य थीं। रीना देवी ने अपने अथक प्रयास से इन सभी सदस्यों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत करवाया। इस कार्य के लिए उन्हें एक–एक सदस्यों को बार–बार बीमा कराने के महत्व को समझाना पड़ा । शुरू में बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अंततः समूह की सभी सदस्यों ने उनके परामर्श को समझा और बीमा करवाने को तैयार हो गयीं ।

अचानक एक दिन रीना देवी की असामयिक मृत्यु ने इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। कुछ समय उपरांत परियोजना समन्वयक एवं सेंटर डायरेक्ट के कार्यकर्ता ने एक सभा में रीना देवी के सपने को साकार करते हुए उन्हें मृत्युपरांत बीमा का लाभ दिलवाया। रीना देवी के अथक प्रयास से अशिक्षित महिलाओं ने बीमा के द्वारा पैसों की बचत के महत्व को समझा ।

आज रीना देवी इस दुनिया में नहीं हैं । परन्तु, पॉड पंचायत की महिलाओं के दिलो में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी ।

कोशिश एक आशा

खगड़िया

महिला विकास निगम द्वारा स्वयंसिद्धा परियोजना के अंतर्गत साहित्य कला मंच नामक एक स्वयं सेवी संस्था ने खगड़िया जिले में सीता स्वयंसिद्धा समूह का गठन किया । यह संस्था अलौली प्रखंड के रामपुर गांव में स्थापित है। मीना देवी को इस समूह का सचिव बनाया गया । शिक्षित मीना देवी अपने सभी सहयोगियों को हर कार्य में भरपूर सहयोग देती हैं तथा दूसरों की सेवा करना अपना धर्म समझती हैं। सीता स्वयंसिद्धा समूह पल्स पोलिया अभियान के अंतर्गत काम करता है। इस अभियान को सफल बनाने के ध्येय से सीता देवी को पोलिया उन्मूलन कार्यक्रम की कार्यकर्ता के रूप में चुना गया और उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में दिन–रात लगा दिया। उन्होंने कमर कस लिया कि वे घर–घर जाकर लोगों को समझायेंगी कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाना आवश्यक है। इन्होनें सभी क्लस्टर की बैठक में समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को इसके बारे में जानकारी दी । मीना ने पास–पड़ोस में इसका प्रचार किया ताकि भविष्य में बच्चे स्वस्थ और सफल जीवन व्यतीत कर सकें।

आशा कार्यकर्ता के रूप में मीना देवी ने अपने ही गांव में एच.आई.वी./एड्स के दो मरीजों की पहचान कराई जिसमें से एक टी.बी. से ग्रसित था। वह उसके नियमित उपचार में लग गई । इसके साथ ही वे सुरक्षित प्रसव टीके दिलवाने के कार्यक्रम से भी जुड़ीं। इनके सहयोग से समूह की दूसरी महिलाओं ने भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया । स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में मीना देवी ने अपनी एक अलग पहचान कामय की तथा दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनीं।

एकता जहाँ विजय वहाँ

दरभंगा

राहुल महिला स्वयं सहायता समूह निर्देश नामक एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा गठित किया गया जो दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत में काम कर रहा है।

सावित्री और शांति दोनों ही इस समूह की कर्मठ सदस्या हैं। दोनों ही महिलायें वार्ड के चुनाव में खड़ी हुयीं। इन दोनों महिलाओं के पतियों ने अपनी–अपनी पत्नियों की जीत का दावा करना शुरू किया । नतीजतन दोनों पुरूषों के बीच तनाव का माहौल रहने लगा। परन्तु दोनों महिलाओं ने अपने पतियों के स्वभाव के विपरीत शालीनता एवं जागरूकता का परिचय दिया । वे एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गयीं ।

इसी दौरान समूह की बैठक में निर्देश संस्था ने यह निर्णय लिया कि दोनों में से किसी एक महिला को चुनाव में खड़ा होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों चुनाव लड़ती हैं तो जीत का सेहरा किसी और के सर बंधेगा । इन बातों को सुनकर शांति देवी ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और सावित्री देवी के सहयोग में चुनाव प्रचार करने लगीं ।

''एकता जहां विजय वहां'' के कहावत को चरितार्थ करते हुए सावित्री देवी चुनाव जीत गयीं । इससे यह साबित होता है कि जिस समाज या समूह में ऐसी एकता होगी उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ।

समूह बुआढ़ की नवबहुओं का

मधुबनी

मधुबनी जिले के डोरबार पंचायत के बजीवा टोला में सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही रहते हैं। इस टोले में महिला विकास निगम के द्वारा स्वयंसिद्धा परियोजना के अंतर्गत तीन स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। पचास घर वाले इस टोले की लगभग सभी महिलाएं समूह से जुड़ी हुयी हैं ।

एक दिन मासिक बैठक के क्रम में चर्चा के दौरान नव विवाहित महिलाओं ने जब यह सुना कि लक्षित आयुवर्ग की कोई महिला अब उस टोले में नहीं बचीं जिसे समूह से जोड़ा जा सके तो उन्होंने परियोजना समन्वयक के सामने यह सुझाव दिया कि वे नव बहुओं के समूह का गठन करें । इसके फलस्वरूप नव विवाहित महिलाओं के लिए एक अलग समूह का गठन किया गया और इस प्रकार दलित टोले की सम्पूर्ण महिलाऐं स्वयंसिद्धा परियोजना के तहत जुड़ गयीं ।

छोटी–छोटी रकम के आपसी लेन–देन से समूह की महिलाओं में धीरे–धीरे परिवर्तन आने लगा है । अब इन्हें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं महसूस होती ।

संग–साथ–बल

सिवान

स्वयंसिद्धा परियोजना के तहत गांधी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया । यह परियोजना सिवान जिले के पचरूखी गांव में चल रही है। अमरावती देवी इस समूह की एक सदस्या हैं । वे अपने शराबी तथा जुआरी पति से अत्यंत परेशान थीं । उनके पति ने अपनी बुरी आदतों के कारण अपनी सारी जमीन गवां चुका था। पति को रोकने पर अमरावती को बुरी तरह मारा–पिटा जाता था । एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर अमरावती ने कचड़ी–पकौड़े की छोटी सी दुकान खोली जिससे वह अपने बच्चों का भरण–पोषण करती थी । हद तो तब हो गयी जब उनके पति ने शराब के लिए अपना घर तक बेच दिया और अपने परिवार को छोड़कर कहीं चला गया । उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गयी । अब अमरावती और उसके बच्चे सड़क पर आ चुके थे । विपत्ति की इस घड़ी में समूह की महिलाओं ने उसका साथ दिया । सर्वसम्मति से अमरावती को कुछ पैसे समूह द्वारा कर्ज के रूप में दिए गये । समूह की सभी सदस्यों ने मिलकर नब्बे दिनों के अन्दर उनके पति को ढूंढ निकाला । साथ ही इंदिरा आवास योजना के तहत उसे एक घर भी दिलवाया।

आज अमरावती एवं उसका परिवार अपने घर में खुशी खुशी जीवन–यापन कर रहा है। समूह की मदद से अमरावती ने फिर से अपनी दुकान शुरू कर दी है और अब उसका पति भी उसका हाथ बँटाता है।

अमरावती का कहना है यह सब गांधी स्वयं सहायता समूह के कारण ही संभव हो पाया है । इसीलिए कहा गया है संगठन में बड़ी शक्ति होती है । अगर अमरावती को विपत्ति के समय संगठन का साथ नहीं मिलता तो आज उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा हो पाना असंभव था ।

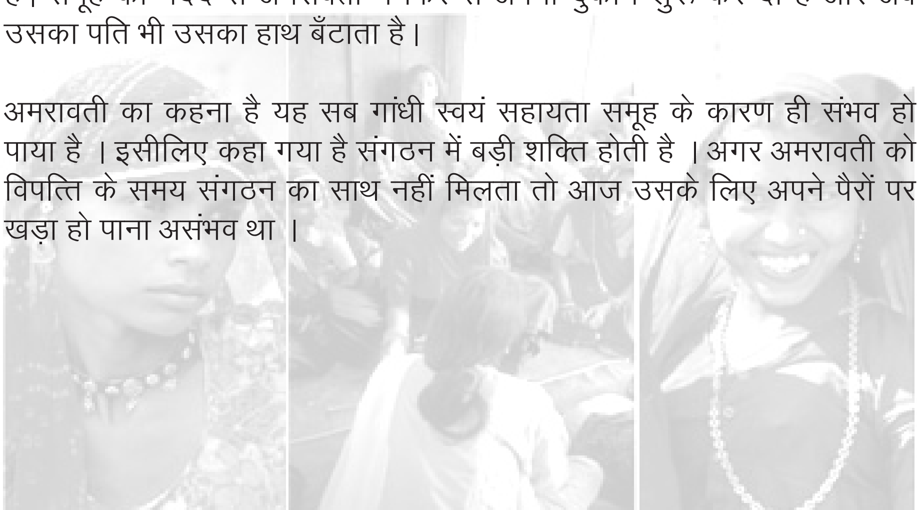

पूर्णिया

भुटहा एक ऐसा गांव जहां के लोगों के जीने का कोई मकसद नहीं था। यहां के लोग रात और दिन डर के साये में गुजार रहे थे । बगल के ही कुछ गांव के लोग भुटहा गांव के लोगों को बंगलादेशी समझ कर परेशान किया करते थे । गांव की कोई भी महिला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में दीपालय इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन ने महिला विकास निगम द्वारा स्वयंसिद्धा परियोजना के अंतर्गत एक चुनौतीपूर्ण कदम उठाते हुए मीरा स्वयं सहायता समूह का गठन किया।

समूह का प्रारंभिक दौर काफी मुश्किलों भरा था । बगल के गांव के लोग आकर समूह की बैठक को रोकने की कोशिश करते थे । समूह के सदस्यों ने धीरे–धीरे हिम्मत का परिचय देते हुए जिलाधिकारी से मिलकर खुद बात करने का फैसला लिया । उनकी मुलाकात जिलाधिकारी से हुई जिससे उनका मनोबल बढ़ा ।

धीरे–धीरे समूह की बैठक नियमित रूप से होने लगी । भुटहा गांव की महिलाओं ने बैंक से पंद्रह हजार रूपये ऋण लेकर मूंगफली की खेती शुरू की और अबतक साठ हजार रूपये से अधिक का व्यापार कर चुकीं हैं । अतः भुटहा गांव की महिलाओं के लिए यह कहना ग़लत नहीं होगा कि वे अब सिर्फ कुएं की मेढक नहीं रहीं बल्कि सागर की मीन बन चुकी हैं ।

समूह—मकसद और हकीकत

वैशाली

विकास की ये कहानी है वैशाली ज़िले के बिदुपुर प्रखंड की । यहां की महिलाएं अपनी हर छोटी—मोटी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह महाजनों पर निर्भर थीं । ऐसी परिस्थिति में महिला विकास निगम के द्वारा चलाये गये स्वयंसिद्धा परियोजना के अंतर्गत निदान संस्था द्वारा बिदुपुर के चकठ कुर्सी, मझौली एवं रहिमापुर पंचायत में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया ।

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने बचत करना सीखा । इन समूहों के बीच लगातार चर्चा, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप धीरे—धीरे बचत की शुरूआत हुई। इस तरह पांच—दस रूपये से शुरू होकर बचत की राशि हजार तक पहुंच गई । नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी बचत का महत्व समझाने की कोशिश की गई । समूह की महिलाओं का कहना है कि 'समूह ने हमें जीने का रास्ता दिखाया। पहले हम सभी महाजनों से कर्ज लेकर ही अपना काम कर पाती थीं। परन्तु, समूह से जुड़ने के बाद हमलोगों ने खेती करना एवं पशुपालन भी सीखा। इतना ही नहीं हमें एड्स, स्तनपान, मातृत्व लाभ योजना एवं वृद्धा पेंशन आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई ।'

समूह से जुड़कर महिलाओं ने महाजनों के चंगुल से तो छुटकारा पाया ही, साथ ही हाथ का हुनर सीखकर अपने तथा अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण भी कर पा रहीं हैं । यह कहना गलत नहीं होगा कि ''राख के नीचे दबी चिंगारी अब आग का रूप ले चुकी है''।

गया

नारी कल्याण संस्थान ने महिला विकास निगम के द्वारा स्वयंसिद्धा परियोजना के तहत गंगोत्री समूह का गठन किया । यह समूह गया जिला के रौशा गांव में काम करता है। इस समूह का गठन होने से पहले शुरूआती दौर में नारी कल्याण संस्थान के कार्यकर्त्ताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रौशा गांव की महिलाओं को समझा बुझा कर गंगोत्री समूह का निर्माण किया गया । शुरूआती दौर में महिलाओं को समझाना काफी कठिन था। कुछ माह तक केवल एक ही बैठक होती रही। इस समूह में तेरह सदस्या थीं जिन्होनें प्रतिमाह 20 रूपये जमा करने शुरू किये। धीरे–धीरे नियमित बैठक होने लगी। साथ ही स्वयंसिद्धा परियोजना एवं संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता रहा। इससे समूह के पास कुछ रूपये जमा हो गये ।

समूह की महिलाओं ने अपने बचाये पैसों एवं बैक से ऋण लेकर अदरक की खेती करने का निश्चय किया क्योंकि वहां की जमीन अदरक की खेती के लिए उपयुक्त थी। पहली खेती से समूह के सदस्यों ने करीब सत्रह हजार रूपये का मुनाफा कमाया जिससे उन्होंने बैंक का ऋण उतार दिया। अपनी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने चार बीघे में अदरक की खेती करने की योजना बनाई ताकि कम लागत में अच्छी उपज हो सके। गंगोत्री समूह की सदस्यों के मेहनत और लगन को देखते हुए आत्मा द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है तथा साथ ही साथ एक लाख रूपये देने का भी आश्वासन दिया गया है।

जिस मेहनत और लगन से गंगोत्री समूह की महिलायें काम कर रही हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में यह समूह बुलंदियों को छुयेगा।

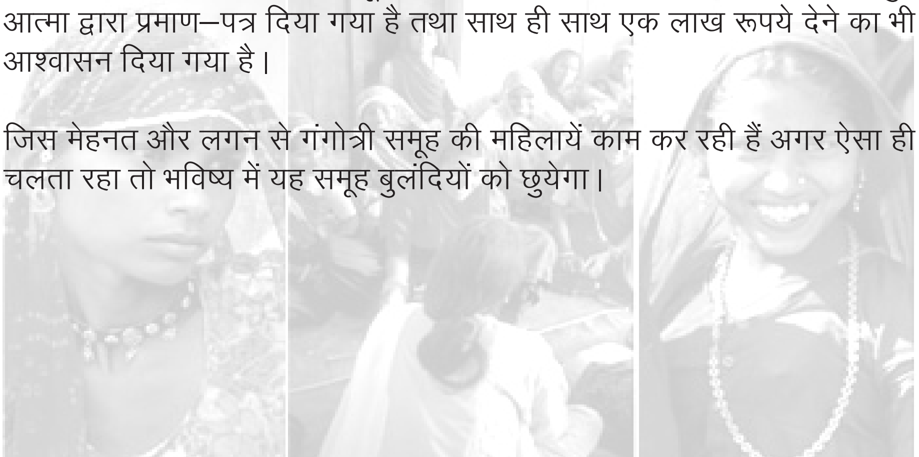

डूबते को तिनके का सहारा

नालन्दा

बहादी बिघा गांव के लोग अनपढ़, असंगठित एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हैं । गरीबी के कारण वे अपने पेशे को सुचारू ढंग से नहीं कर पाते हैं। स्वयंसिद्धा परियोजना के अन्तर्गत दुर्गा स्वयंसिद्धा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह की महिलाओं पर पुरूषों का दबदबा था। समूह के निर्माण में भी काफी परेशानी हुई परन्तु समूह में आने के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने लगीं और उनके अन्दर आत्मबल एवं जागरूकता भी पैदा हुई ।

एक दिन समूह की सचिव के लड़के को बिच्छु ने काट लिया। प्रारंभ में लोगों ने बच्चे को तांत्रिक से झाड़फूंक करवाने की सलाह दी। करीब एक घंटे तक झाड़फूंक का नाटक चला किन्तु लड़के की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । उसकी हालत बिगड़ता देख समूह की महिलाओं ने उसे चिकित्सक के पास ले जाने की सलाह दी, परन्तु चिकित्सक से इलाज कराने के लिए उस महिला के पास पैसे नहीं थे। इस कठिन परिस्थिति में समूह की कोषाध्यक्ष श्रीमती बच्ची देवी ने समूह के जमा पैसों में से पांच सौ रूपये बच्चे की इलाज के लिए उसकी मां को दिए। बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गयी।

इस प्रकार समूह की एकता एवं आपसी सहमति ने एक बच्चे की जान बचा ली। उनकी एकता से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखने को मिला कि जो लोग समूह के गठन का विरोध कर रहे थे वे दूसरे समूह के निर्माण में भी सहभागिता करने लगे।

माँ ! न मार कि मैं तेरी बेटी हूँ

औरंगाबाद

औरंगाबाद के देव प्रखण्ड में एक गांव है सीवान बिघा । यहां स्वयंसिद्धा परियोजना के अन्तर्गत आदित्य स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। समूह बनने से पहले महिलाएं अपने घरेलू कार्यों, कृषि और पशुपालन तक ही सीमित थीं लेकिन अब सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो रही हैं। समूह की सभी महिलाएं समूह के नियम का पालन कर रही हैं साथ ही साथ पास पड़ोस में हो रहे सामाजिक कुरीतियों पर भी ध्यान दे रही हैं।

समूह की एक सदस्या श्रीमती लक्ष्मी देवी अपनी बेटी के साथ भेदभाव करती थीं। वे अपने बेटे को विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजतीं और अपनी बेटी को घर के काम में दिन–रात जुटायें रखती। जब भी उनकी लड़की स्कूल जाने की ज़िद करती तो उसे झिड़की सुनने को मिलती। उनकी लड़की की इस स्थिति को समूह की बैठक में रखा गया। सारी बातें समूह के सामने रखने के बाद समूह की महिलाओं ने लक्ष्मी देवी को समझाया । उन्हें बताया गया की बेटा–बेटी में कोई अन्तर नहीं है। यह बातें शुरू–शुरू में उनकी समझ में नहीं आयी परन्तु समूह की अन्य महिलाओं के बार–बार समझाने पर बात की गंभीरता उनकी समझ में आ गयी और वे अपनी लड़की को स्कूल भेजने लगी।

समूह से जुड़ने पर अक्सर यह देखा गया है कि महिलाओं ने महिला की प्रतिष्ठा के महत्व को समझना शुरू किया है और उन्हें यह एहसास भी हुआ है कि लड़कियां बोझ नहीं हैं और किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं । ''बेटा–बेटी एक समान यह ज्ञान अब आदित्य समूह की महिलाएं दूसरे समूहों में भी बांट रही हैं।''

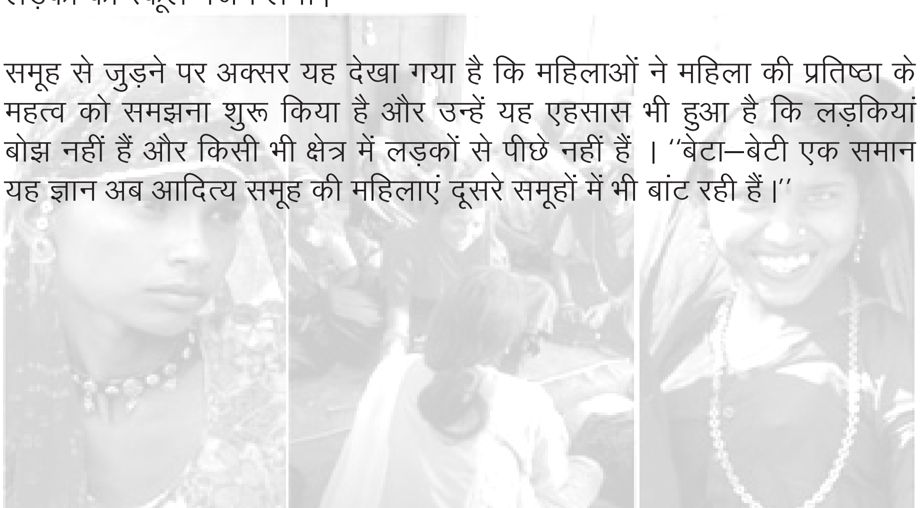

लालमुनी बनी आत्मनिर्भर

जहानाबाद

भारत को आजाद हुए साठ वर्ष से ज्यादा हो गए। परन्तु हमारे देश के अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां विकास की हल्की सी किरण भी नहीं छू पायी है। कुछ वर्ष पहले तक जहानाबाद जिले के दिनारा प्रखंड के सरना गांव की भी यही कहानी थी। परन्तु स्वयंसिद्धा परियोजना के तहत जयप्रभा विकास मंडल के सहयोग से गठित स्वयंसिद्धा आभा समूह ने सरना गांव में विकास की गंगा का संचार किया। यहां की महिलाओं में नेतृत्व का विकास हुआ और साथ उनका आत्म विश्वास भी बढ़ा। समूह गठन के पहले वहां की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थीं। ज्यादातर महिलाएं घरेलू कार्य ही करती थीं। कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो इधर उधर छोटा मोटा कार्य करने या झगड़ा करने में अपना समय बिताती थीं। परन्तु, परियोजना ने इस गांव के समाज को परिवर्तनशील बनाया तथा महिलाएं बाहर के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। समूह के गठन के बाद उन्होंने आपसी हितों के कार्यों के लिए सामूहिक प्रयास शुरू किया। इससे महिलाओं का उत्साह बढ़ा और वे अपने गांव की समस्याओं के समाधान के प्रति सचेत हुयीं।

विकास शब्द से अनभिज्ञ सरना गांव की लालमुनी देवी समूह से जुड़कर पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गईं। अपनी आजीविका के लिए अपने पति पर निर्भर रहने वाली लालमुनी ने एस.जी.एस.वाई. योजना के तहत पचीस सौ रूपये की राशि प्राप्त कर एक भैंस खरीदा। आज वह भैंस का दूध बेचकर अपने घर का खर्च उठा रही हैं। उनके इस प्रयास से उनका परिवार तथा समूह की सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस करती हैं।

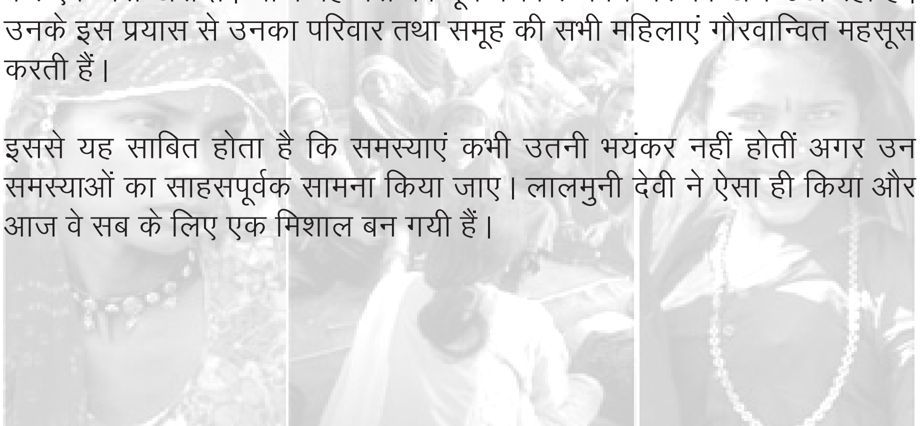

इससे यह साबित होता है कि समस्याएं कभी उतनी भयंकर नहीं होतीं अगर उन समस्याओं का साहसपूर्वक सामना किया जाए। लालमुनी देवी ने ऐसा ही किया और आज वे सब के लिए एक मिशाल बन गयी हैं।

महिला सशक्तिकरण की नई इबारत–अवन्ति देवी

गया

यह कहानी है गया जिले के रघुनाथ खाप गांव की अवन्ति देवी की जो स्वयंसिद्धा परियोजना के अन्तर्गत रूपा स्वयंसिद्धा समूह की सदस्या हैं। आर्थिक रूप से अत्यन्त दयनीय अवन्ति ने स्वयंसिद्धा परियोजना से जुड़कर लगातार दो वर्षों तक ऐनिमेटर के पद पर कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान कायम की। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए बैंक एवं अन्य अधिकारियों के बीच एक कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में चर्चित हुयीं। वह अपने कार्य को कठिनाइयों के बावजूद तन–मन–धन लगाकर पूरा करती थीं। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे गांव के हर व्यक्ति की मदद कर सके और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती थीं।

इसी बीच पंचायत चुनाव 2006 में समूह द्वारा प्रोत्साहित करने पर वे जिला पार्षद का चुनाव लड़ने को तैयार हो गयी। हालांकि चुनाव खर्च वहन करना उनके लिए असंभव था। काफी प्रयास के बाद उन्होंने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से पचीस हजार रूपये ऋण लिए। इतना ही नहीं समूह के लोगों ने भी उनकी सहायता के लिए चन्दा इकट्ठा किया। अवन्ति सभी के सहयोग से चुनाव प्रचार में जुट गयीं। उन्हें गांव के दबंग लोगों के द्वारा डराया–धमकाया गया और कहा गया कि वे अपना नाम वापस ले लें। अवन्ति ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर उनका सामना किया । अंततः जीत उनकी ही हुयी। उनकी जीत ने समूह का मनोबल ऊंचा किया और जो स्वयं सहायता समूह के विषय में नहीं जानते थे उन्हें भी समूह के महत्व की जानकारी मिली। समूह की महिलाओं को अवन्ति ने अपने गांव में एक ऊंचा दर्जा दिलाया ।

आज समूह की महिलायें समूह की सदस्या होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं ।

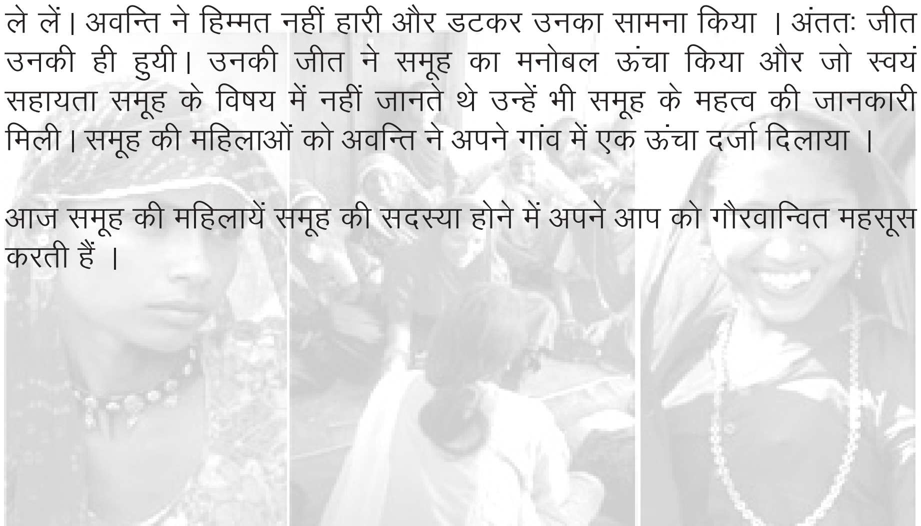

चुनौतियों का सामना करने वाली कर्मठ ललिता

औरंगाबाद

सफलता की यह कहानी औरंगाबाद जिला के जुड़ाही गांव की ललिता देवी की है। ललिता रम्भा स्वयं सहायता समूह की सदस्या हैं। इस समूह की सभी सदस्याएं अत्यंत कर्मठ एवं सशक्त व्यक्तित्व की धनी हैं। स्वयंसिद्धा परियोजना से जुड़कर इस समूह की महिलाओं ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया है। इसी कड़ी में ललिता देवी का नाम भी जुड़ा है।

ललिता बहुत ही निर्धन परिवार से ताल्लुक रखती थीं। बड़ी ही मुश्किलों से उनके पति अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटा पाते थे। ऐसी परिस्थिति से हार न मानते हुए ललिता ने बैंक एवं समूह की सहायता से कुछ पैसे उधार लिए और बर्फ की फैक्ट्री लगायी। फैक्ट्री चल निकली और उनकी आय में निरंतर वृद्धि होती गयी। आगे चलकर उनकी आर्थिक स्थिति में न ही सिर्फ सुधार आया बल्कि वे अपना ऋण वापस करने में भी सफल रहीं। समूह की महिलाओं के लिए ललिता देवी एक मिसाल बन गयीं। उनका मानना है कि यह सब स्वयंसिद्धा परियोजना के कारण ही संभव हो पाया जिसके अंतर्गत उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का विकास हुआ।

इस तरह ललिता देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास में बल है और कोई भी अगर कुछ करने की ठान ले तो अवश्य सफल होगा।

अपराजिता

दरभंगा

संघर्ष की यह कहानी दरभंगा के दुघरा गावं की है जहां महिला विकास निगम द्वारा संपोषित एवं निर्देश संस्था द्वारा संचालित स्वयंसिद्धा परियोजना के तहत बाबा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में मिथिलेश देवी का चुनाव किया गया।

मिथिलेश देवी की सफलता की कहानी काफी संघर्षपूर्ण रही है क्योंकि समाज के जिस तबके से वे ताल्लुक रखती हैं उसे समाज में सर्वोच्च तबका माना जाता है। वे ब्राह्मण जाति की महिला हैं लेकिन उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ते हुए आर्थिक तंगी पर विजय हासिल किया। ब्राह्मण जाति में पर्दा प्रथा सदियों से चली आ रही हैं, आर्थिक तंगी के बावजूद महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम नहीं करने दिया जाता है।

मिथिलेश तीन पुत्रियां एवं एक पुत्र की मां हैं। उनके पति जितना कमाते थे उससे परिवार का गुजारा होना मुश्किल था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और ऐसे में उनकी शिक्षा एवं विवाह को लेकर मिथिलेश चिंतित रहने लगीं। उन्होंने काफी सोच समझ कर स्वयंसिद्धा परियोजना से जुड़ने का निश्चय किया। उनके इस फैसले से उनके पति बहुत नाराज हुए और उनसे मार–पीट की । लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने मायके जाकर निर्देश संस्था के सदस्यों से मिलीं जहां उन्हें पांच समूह मिले और बीस नए समूह बनाने को कहा गया। शुरू में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । ब्राह्मण जाति के लोग और गांव के अन्य पुरूष वर्ग ने उनका विरोध किया। उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया। पति के कहर को वे लगातार बर्दाश्त करती रहीं। जानकारी मिलने पर समूह की महिलाओं ने उनके पति को धमकाया कि अगर वे अपनी पत्नि पर अत्याचार करेंगे तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अंततः अथक प्रयास से मिथिलेश देवी ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। इससे प्रभावित होकर प्रखण्ड के अन्य ऐनिमिटरों से पहले मिथिलेश देवी के पचीस समूह का खाता खुल गया। जब घर को आर्थिक मदद मिलने लगी तो पूरे गांव में उनकी सफलता की कहानी कही जाने लगी। अब उनके पति का नजरिया भी उनके प्रति बदलने लगा। इतना ही नहीं मिथिलेश के रिकॉर्ड को देखते हुए हायाघाट प्रखंड में उनके पति को निर्देष संस्था द्वारा ऐनिमेटर के पद पर रख लिया गया।

मोतिहारी

महिला विकास निगम के सहयोग से निर्देश संस्था स्वावलंबन परियोजना का संचालन मोतिहारी जिला के बरियारपुर गांव में कर रहा है । इस परियोजना के द्वारा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने एवं जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका अंदाजा मोतिहारी प्रखंड की महिलाओं में जगे आत्मविश्वास से लगाया जा सकता है।

सन् 2007 में बाढ़ से हुयी तबाही से निजात दिलाने एवं घरों की मरम्मती के लिए सरकारी योजना के तहत पैंतीस घरों के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस योजना का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने बरियारपुर गांव के मुखिया की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के सदस्य एवं एक वार्ड सदस्य को इस कार्य के लिए लाभ्यार्थियों की सूची तैयार करने को कहा। परन्तु उनलोगों ने जो सूची तैयार की वो बेईमानी से बनायी गयी थी । अतः सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा था।

इन बातों की जानकारी रघुवंश सहायता समूह की अध्यक्षा रूपा खातून को मिली । उन्होंने अपने आस पास के पचीस अन्य समूहों के साथ मिलकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की और सच्चाई से अवगत कराया। मुखिया ने भी इस कार्य में उनका साथ दिया। जब उनलोगों को इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराने का आश्वासन भी दिया। इतनी परेशानियों के बावजूद महिलाओं ने अपने प्रयास से जीत हासिल की जिसके फलस्वरूप सही लाभ्यार्थियों तक लाभ पहुंच पाना संभव हुआ। इसीलिए कहा गया है कि सच्चे लगन एवं इमानदारी से किया गया कार्य सफलता की ओर अग्रसर कराता है ।

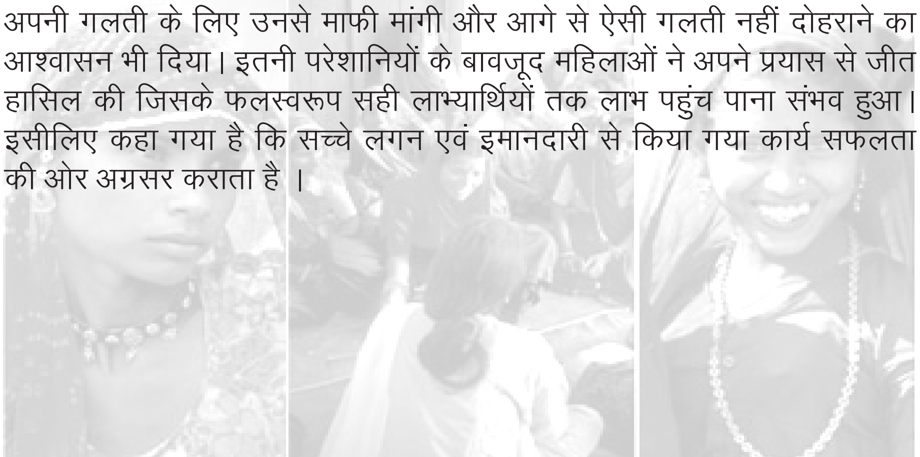

तनी हुई मुट्ठी और वृक्ष बनीं स्त्रियाँ

नालन्दा

नौरगा गांव में सुधा स्वावलंबन समूह की एक सदस्या हैं रेणु देवी । रेणु देवी अत्यंत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिससे गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग उन्हें एवं उनके परिवार को लगातार परेशान करते थे। कभी उनके घर के आगे कूड़ा फेंका जाता तो कभी गंदगी लगाई जाती। हद तो तब हो गयी जब रेणु देवी ने घनश्याम पासवान को अपने घर के सामने पेशाब करते पकड़ लिया। रेणु ने जब इसका विरोध किया तो घनश्याम पासवान के दो और मित्र विशुनदेव और विनय ने मिलकर उनसे और उनके परिवार के साथ गाली–गलौज की एवं अभद्र व्यवहार भी किया।

जब समूह को इस घटना की जानकारी हुयी तो सभी ने इसके विरूद्ध आपातकालीन बैठक बुलायी जिसमें दोनों समूहों के सदस्यों ने हिस्सा लिया । बैठक में रेणु देवी ने अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में सभी को जानकारी दी। तभी यह निर्णय लिया गया कि उन तीनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तत्पश्चात् दोनों समूहों से बुलाये गये इक्कीस सदस्य अपने स्वावलंबन बैज लगाकर गांव से इकतीस किलोमीटर दूर बिन्द पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ीं और तत्काल कार्रवाई करने का दबाव डाला। उनकी इस एकजुटता को देख पुलिस उनके गांव पहुंची और त्वरित कार्रवाई किया जिसके फलस्वरूप वे तीनों गांव छोड़कर भाग गए। पुनः वे वापस आए और समूह के सदस्यों के समक्ष उपस्थित होकर माफी मांगी। इस प्रकार महिलाओं ने एकता में शक्ति का परिचय दिखाते हुए बुराई पर जीत हासिल की।

कान्ता देवी–महिला सशक्तिकरण की अविरल गंगा

पूर्वी चम्पारण

महिला विकास निगम के तत्वाधान में चलने वाले सवलंबन परियोजना के अंतर्गत नोनियाडीह ग्राम पंचायत में 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। सभी समूह की सदस्यों ने एक मत से पूरे क्लस्टर के लिए श्रीमती कान्ता देवी को अपना अध्यक्ष बनाया । गरीब महिलाओं के प्रति कान्ता देवी का विचार सराहनीय था। वे सभी की सहायता करने पर हमेशा तत्पर रहती थी । समूह के गठन के उपरान्त अब सभी सदस्य गांव के दलाल का साथ छोड़कर अपनी समस्याओं को स्वयं कान्ता देवी के सहारे सुलझाने लगी। यह बात पुरूष प्रधान समाज को नागवार गुजरी और उनलोगों ने कान्ता देवी को यह चेतावनी दे डाली कि अगर वे यह काम नहीं छोड़ेगी तो बहुत बुरा होगा। साथ ही उनलोगों से गाली गलौज भी किया।

मासिक बैठक में जब कान्ता देवी ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में चर्चा की तब सभी सदस्यों ने उनका साथ देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे सभी उसके साथ हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच शीला देवी समिति का चुनाव होने वाला था जिसमें मर्दों का दबाव था कि बैठक में महिलाएँ नहीं जाएँगी। इस पर महिलाओं ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मिलकर शिक्षा समिति के चुनाव के संबंध में बात की। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात् सभी महिलाओं ने प्रसन्न होकर एक मत से कान्ता देवी को सचिव पद के लिए मनोनीत किया। मर्दों के विरोध करने पर समूह की सभी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि 'कल हमारा है' और अब महिलाओं को भी समाज में पुरूषों के बराबर का हक मिलना चाहिए। आखिकार पुरूषों को उनकी एकता के आगे झुकना ही पड़ा।

इस प्रकार आपसी सहमति से लिया गया निर्णय सही मंज़िल कि ओर ले जाता है।

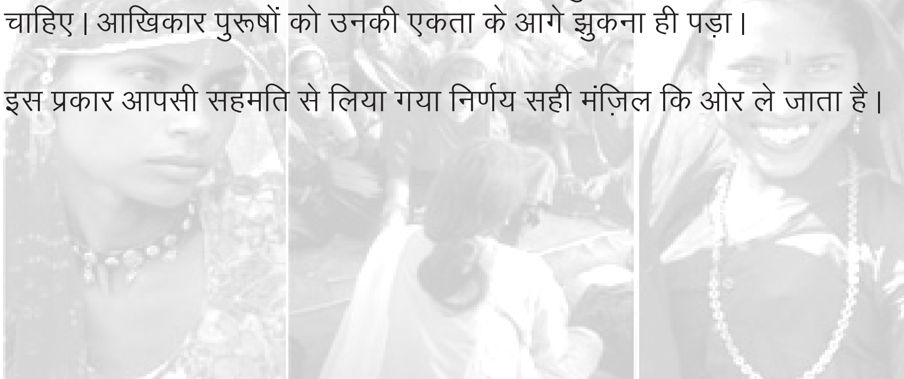

अंधेरे से उजाले की ओर

रोहतास

सफलता की यह कहानी एक विकलांग महिला धरीक्षणा देवी की है जिसके लिए स्वावलंबन परियोजना वरदान बन कर आयी।

महिला विकास निगम के सहयोग से स्वावलंबन परियोजना के तहत सूर्यापुर प्रखण्ड के बारून गांव में अस्कामीनी स्वावलंबन समूह का गठन किया गया। धरीक्षणा देवी इस समूह की सदस्या थीं। दोनों ही हाथों से लाचार होने के कारण मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती थी। उधर पति की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। परन्तु वे चाह कर भी पति का हाथ नहीं बंटा सकती थी।

ऐसी परिस्थिति में धरीक्षणा देवी ने समूह से 1000 रु0 कर्ज लेकर अपनी एक छोटी से दुकान खोल ली। वे अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए दिन–रात मेहनत करने लगी। वर्तमान समय में उन्होंने दुकान से मुनाफा कमाकर समूह का पैसा भी लौटा दिया है और अपने परिवार की आजीविका भी चला रही है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि स्वावलंबन परियोजना धरीक्षणा देवी के लिए दोनों हाथ साबित हुआ और उनकी जिन्दगी बदल गई।

बाढ़ ने घर को उजाड़ा, समूह ने रास्ता दिखाया

खगड़िया

यह घटना है खगड़िया जिले के बन्नी पंचायत की। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण लोग बांध पर फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे। गरीबी में जीवन बसर करने वाले इन लोगों पर उस वक्त दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब अचानक आग लगने से देखते ही देखते वहां की लगभग 50 झोपड़ी स्वाहा हो गई। उनका घर संसार मानों पलक झपकते ही लुट गया। ऐसी विकट परिस्थिति में प्रशासन भी उनके आंसू पोंछने नहीं आया। महिला विकास निगम के तत्वाधान में चलने वाले स्वावलंबन परियोजना से जुड़ी महिलाओं ने उस वक्त आगे बढ़कर उन बेसहारों की मदद करने की ठानी। आकस्मिक बैठक कर उनलोगों ने घर घर जाकर चन्दा इकट्ठा किया। समाज के सभी लोगों नें इस प्रयास के लिए उनकी भूरी प्रशंसा की तथा उनके पहल पर समाज के अन्य वर्ग भी बेसहारों की मदद को आगे आए।

जो कार्य वर्षों से नहीं हुआ था वही कार्य इस समूह की महिलाओं ने अपने अथक प्रयास से पूरा कर सफलता प्राप्त की। हालांकि यह कार्य प्रखण्ड या पंचायत का था किन्तु इस समस्या का समाधान किया समूह की महिलाओं ने। जो काम प्रशासन या गांव के लोगों ने नहीं किया, वह महिला समूह के माध्यम से किया गया। गांव के लोग इससे काफी खुश थे।

अबला नहीं शक्तिरूपा

वैशाली

यह कहानी है कदम महिला स्वावलंबन समिति की जिसका गठन महिला विकास निगम के स्वावलंबन परियोजना के तहत चैतपुर नन्दकार गांव में किया गया। इस गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित एवं गरीब हैं, ऊपर से महाजनों के ऋण के दलदल में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। परन्तु महिला विकास निगम तथा निदान संस्था के सहयोग से गठित कदम महिला स्वावलंबन समिति के कारण अब वे महाजन के चंगुल से आजाद हैं।

इसी समूह की कोषाध्यक्ष है लालती देवी। मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाली इस महिला पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसकी नवविवाहिता पुत्री की हत्या दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने कर दी। इस घटना के विरोध में जब वह थाने में रिपोर्ट लिखवाने गयी तब उसे बगैर एफ.आई.आर. दर्ज किए भगा दिया गया। इससे लालती देवी खुद को असहाय महसूस कर रही थी।

महिला समूह ने बैठक किया और यह निर्णय लिया कि वे दहेज के अपराधी को अवश्य सजा दिलवाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आए दिन महिलाएं प्रताड़ित होती रहेंगी।

तत्पश्चात कदम महिला स्वावलंबन समिति की सदस्यों ने पास ही के एक अन्य समूह घूंघट महिला स्वावलंबन समिति के सदस्यों को इकट्ठा किया और मुखिया के पास गयी। मुखिया उनलोगों को लेकर थाने गए। उनकी इस एकता के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और वे एफ.आई.आर. दर्ज कराने में सफल हुई।

इस प्रकार सामूहिक प्रयास के महत्व को सभी ने बखूबी जान लिया और आगे से हर समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास एवं एकता से करने का संकल्प लिया।

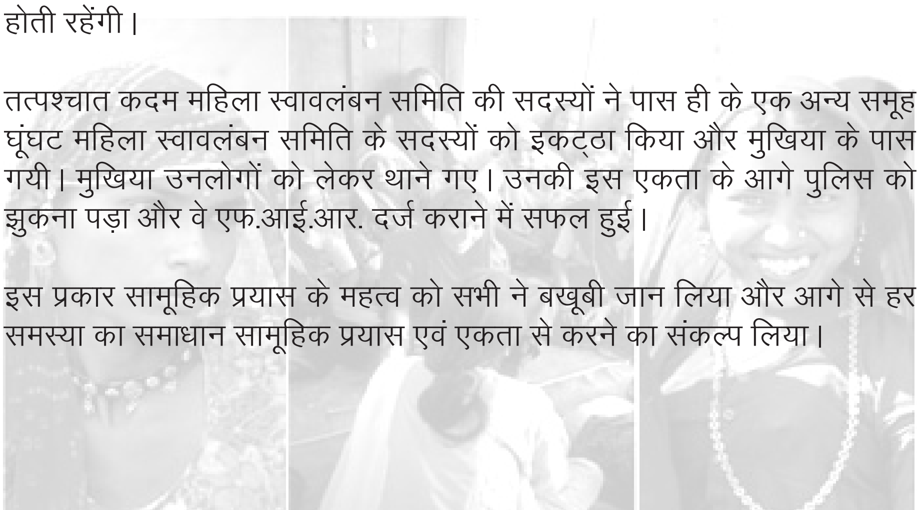

मुझे मिली मेरी पहचान

पूर्णिया

यह कहानी है मिन्नत आइसा की जो दीपालय मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांग पुर्नवास संस्थान की प्रखण्ड संयोजक है। इन्होंने आमौन गांव में महिला विकास निगम के सहयोग से स्वावलंबन परियोजना के तहत अत्यंत कठिनाइयों से उज्जवल स्वावलंबन स्वयं सहायता समूह का गठन किया।

प्रारंभ में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः समूह के गठन में सफलता प्राप्त कर ही ली। समूह की महिलाएं अब अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि समूह से जुड़कर वे अपनी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार ला सकती है। अब सभी महिलाएं पूरे उत्साह के साथ समूह के संचालन में हिस्सा ले रही हैं।

उन्होंने बैंक से हक की लड़ाई लड़ते हुए 10,000 रू0 का ऋण भी प्राप्त किया जिसे छः माह बाद ही लौटा दिया। इस ऋण से उन्होंने एक नया कारोबार शुरू कर काफी मुनाफा भी कमाया। आज की तारीख में यह समूह सबसे आदर्श समूह की पहचान रखता है। यह सब मिन्नत के प्रयास से ही संभव हो सका।

स्वावलंबन परियोजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दिखाई पड़ रही है। महिलाएं अब ये जान चुकी हैं कि अपने जीवन को संवारने का बल अपने ही हाथों में हैं । इस दिशा में महिलाओं के द्वारा आय वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की बात सामने आ रही है।

मिन्नत कहतीं हैं ''महिला विकास निगम के सहयोग के कारण ही आज मैं एक आम महिला से एक सशक्त नारी के रूप में अपनी पहचान बना पायी हूं।''

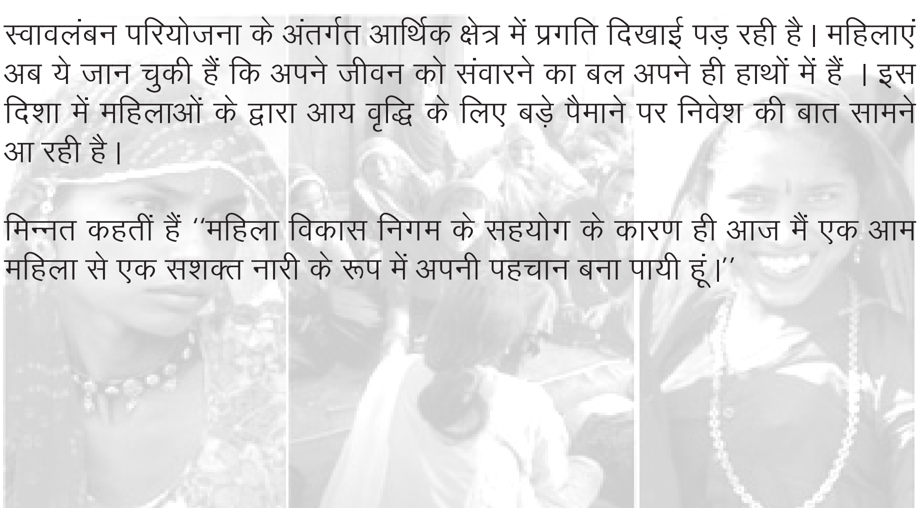

हम सब एक हैं

पटना

यह कहानी है बिजली स्वावलंबन महिला विकास समिति फुलवारीशरीफ की। इसका गठन महिला विकास निगम के तहत स्वावलंबन परियोजना के अन्तर्गत आई.डी.एफ. द्वारा सन् 2004 में किया गया।

इस समूह की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आधी सदस्या मुस्लिम एवं आधी हिन्दु हैं। सभी मिल जुल कर काम करती थी। इस समूह की कोषाध्यक्ष है रशीदा बानों। रशीदा बानो के पति बेरोजगार थें इसलिए एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी रशीदा के ऊपर थी। उसकी अपनी एक सिलाई की दुकान थी जिसमें उसके पति भी उसका हाथ बंटाते थे। किसी तरह उसके परिवार की जिन्दगी कट रही थी।

इसी बीच अचानक उसके पति ने पेट दर्द एवं सांस की तकलीफ की बात कही। रशीदा उसे डॉक्टर के पास ले गयी जहां से लौटने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। इस विकट परिस्थिति में समूह की सभी महिलाओं ने बैठक बुला कर रशीदा की मदद करने का निर्णय लिया और उसे समूह की तरफ से 500 रू0 की आर्थिक मदद दी गई। इसके लिए रशीदा बानों समूह का आभार व्यक्त करती है।

यह घटना हमें प्रेम, सौहार्द एवं साम्प्रदायिक एकता का एहसास दिलाता है जिसने समाज में एक मिसाल कायम किया।

वापस मिली प्रतिश्ठा

पूर्णिया

स्वावलंबन परियोजना के तहत पूर्णिया जिले के अमौर प्रखण्ड के ज्ञानडोभ पंचायत के अधीन पैठान टोली ग्राम में मीरा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया।

अपने पतियों के कमाई पर निर्भर रहनेवाली पैठान टोली गांव की महिलाओं ने मीरा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल की है। समूह की सदस्यों ने बैंक से ऋण लेकर मुर्गियाँ और बकरियाँ खरीदी साथ ही बचे पैसों से किराना दुकान भी खोला। सदस्यों ने इतना कमा लिया कि वे ऋण वापस करने में समर्थ हो पायीं। अब ये महिलाएँ इतनी बचत कर चुकी हैं कि वे मुर्गी पालन के लिए फार्म निर्माण करने का विचार कर रही हैं। वर्तमान समय में दूरदराज के गांव वाले इनके पास अंडे तथा मुर्गियां खरीदने आते हैं।

कल तक समूह के बारे में न सोचने वाली महिलाएं आज दूसरा समूह भी गठित करने के बारे में सोच रही है। इससे वे न केवल, आर्थिक रूप से मजबूत हुई बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल की। उनके विश्वास एवं लगन के कारण सभी गांव वाले उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं।

अब हुंकार उठी स्त्रियाँ

खगड़िया

महिला विकास निगम एवं साहित्य कला मंच रामपुर अलौली (खगड़िया) द्वारा भिखारी घाट पंचायत के रविदास टोला गांव में दीप परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह से जुड़कर महिलाओं ने अपने जनवितरण प्रणाली के दुकानदार पर हर माह नियमित रूप से किरासन तेल वितरित करने का दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की।

दुकानदार ने उनके साथ गाली गलौज की और कमजोर जानकर तेल देने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन महिला समूह ने मन में यह बात ठान ली कि दुकानदार को वे सबक सिखा कर रहेंगी।

प्रारंभ में महिलाओं ने दुकानदार की मनमानी पर पहले मौखिक रूप से बातचीत की परन्तु इससे जब कोई फायदा नहीं हुआ तब महिलाओं ने संयुक्त रूप से एक अनुरोध पत्र डीलर को लिखा जिसमें प्रत्येक माह नियमित तेल वितरित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी लिखा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इसकी शिकायत उच्च पदाधिकारी से करेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी करेंगी। इस चेतावनी का डीलर पर तत्काल असर हुआ और उसने अगले महीने से तेल वितरण के समय समूह की सभी 31 महिलाओं को एक एक लीटर मुफ्त तेल देकर उन्हें खुश करने का प्रयास भी किया। परन्तु महिलाओं ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि हमें मुफ्त में तेल नहीं चाहिए बल्कि समय पर सही माप में तेल चाहिए।

इस तरह से उन्होंने यह दिखा दिया कि वे समाज की महत्वपूर्ण अंग हैं और समाज को धोखाधड़ी जैसी बुराइयों से बचाने में वे सराहनीय भूमिका निभा सकती है। समूह के कारण महिलाएं अपनी झिझक को मिटा रही हैं और अधिकार को मांगने और लेने के तरीकों का उपयोग कर रही हैं।

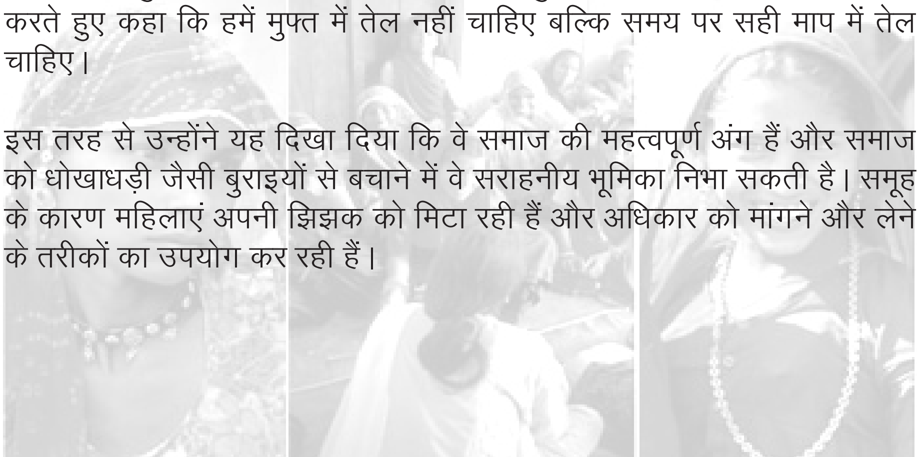

भागलपुर

सतजोरी गाँव में महिला विकास निगम द्वारा सेवा भारती संस्थान के माध्यम से रितु स्वयं सहायता समूह का गठन जून 2005 में किया गया।

सतजोरी गांव में मुख्य रूप से दलित समुदाय के लोग निवास करते हैं। वर्षा काल में यह गाँव प्रखण्ड के अन्य हिस्सों से लगभग कट जाता है। अभी तक प्रशासन की तरफ से भी वहां कोई खास मदद नहीं पहुँच पाई है।

इस समूह में कुल 13 सदस्य हैं जो सभी दलित जाति एवं समान आर्थिक स्थिति से ताल्लुक रखती हैं। समूह से जुड़ने के पश्चात महिलाओं ने बचत करना सीखा और अब उनके पास लगभग 22000 रू0 इकट्ठा हो चुके हैं। इसी बीच महिलाओं को पता चला कि अगर बैंक में खाता खुल जाय तो वर्षा काल में हुई हानि की भरपाई के लिए सरकारी योजना के तहत उन्हें लाभ पहुँचेगा। सभी ने मिलकर बैंक पदाधिकारी से इस संबंध में बात की परन्तु बैंक अधिकारी ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बावजूद भी उनमें निराशा नहीं आयी। और उन्होंने अपनी बचत से ही अपनी तथा अपने गांव की समस्याओं के समाधान करने की योजना बनायी। इस संबंध में पूछने पर वे कहती हैं—हम सरकार के भरोसे समूह का निर्माण नहीं किए हैं, हमलोगों ने अपनी ही बचत से पूँजी खड़ी कर ली है। किसी का मुंह क्यों ताकें।

वर्तमान समय में यह समूह संकुल के अन्य निष्क्रिय और सोए हुए समूह के लिए प्रेरणा तथा ऊर्जा का स्त्रोत बना हुआ है।

पति को बचत का महत्व समझ में आया

मुजफ्फरपुर

यह कहानी है दीप गंगा समूह की जिसका गठन महिला विकास निगम के दीप परियोजना के तहत सदातपुर गांव में किया गया।

समूह गठन के समय परियोजना समन्वयक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नियाँ घर से बाहर निकल कर बैठक करें। काफी मशक्कत के पश्चात् दीप गंगा समूह का गठन हुआ। इसी समूह की एक सदस्या सुशीला देवी हैं। सुशीला देवी के पति शराबी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी घर से बाहर निकले। समूह से जुड़ने के कारण वह सुशीला देवी को अक्सर मारा पीटा करता था। इसके बावजूद सुशीला देवी बैठक में आने लगी। धीरे–धीरे उसने पति से डरना छोड़ दिया। समूह की महिलाएँ भी अब उसके दरवाजे पर ही बैठक करने लगी। इसी बीच सुशीला देवी को पता चला कि उसके पति दूसरी शादी करने वाले हैं। उसने इस समस्या को समूह के सामने रखा। फिर क्या था सभी ने मिलकर उसके पति को डराया धमकाया और दूसरी शादी नहीं करने के लिए दबाव डाला। साथ ही जिस लड़की से उसका पति शादी करना चाहता था उसकी शादी भी उन्होंने दूसरी जगह करवा दिया।

इस प्रकार समूह के सम्मिलित प्रयास से सुशीला का पति दूसरी शादी नहीं कर सका। सुशीला अब अपने पति एवं बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। उसके पति भी बदल गए हैं। समूह से ऋण लेकर वह बकरी पालन कर रही हैं उसके इस काम में उसका पति भी उसका पूरा साथ निभा रहा है।

निरक्षर बनी साक्षर ! मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ

जहानाबाद

यह घटना है दीप शारदा समूह की जिसका गठन महिला विकास निगम के दीप परियोजना के तहत पाठक विगहा गांव में किया गया। वर्तमान में इस समूह का खाता पंजाब नेशनल बैंक मुरगांव में है। जिस वक्त इस समूह का खाता खोला जा रहा था उस समय समूह के तीन लोग अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी ने हस्ताक्षर की जगह अंगुठा लगाया। यह बात तीनों साक्षर सदस्यों को अच्छी नहीं लगी और तीनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे समूह की सभी महिलाओं को साक्षर बनाएंगे। आज उनकी दृढ़निश्चय का ही परिणाम है कि समूह की सभी महिलाएँ साक्षर हैं और अंगूठे की जगह अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रही है।

बैंक मैनेजर ने जब एक सदस्या को अंगूठा लगाने के लिए स्याही दिया तो उसने कहा – ''हमें हस्ताक्षर करना है, अंगूठा नहीं लगाना'' जब मैनेजर ने ये जानना चाहा कि क्या वे अपना नाम लिख सकती हैं, तो जवाब मिला ''हम अपना ही नहीं आपका भी नाम लिख सकते हैं'' जो कि अपने में एक मिसाल है।

समूह की ऐसी गतिविधियों को देखकर गांव की अन्य महिलाएं जो इसे बेकार समझती थी, आज वे भी समूह का हिस्सा बनना चाह रही है । इतना ही नहीं गांव का पुरूष समुदाय भी समूह के प्रति सकारात्मक सोच रखने लगा है। महिला विकास निगम द्वारा समूह की इस उपलब्धि को देखते हुए स्वरोजगार के लिए 1,00,000 रू0 का चेक प्रदान किया गया।

मैं अबला नहीं सबला

खगड़िया

दीप परियोजना के तहत लक्ष्मी दीप समूह का गठन साहित्य कला मंच की सहायता से खगड़िया जिले के अलौली प्रखण्ड के भिखारी घाट गाँव में किया गया।

यह कहानी है श्रीमती संजू देवी की जो लक्ष्मी दीप समूह की कोषाध्यक्ष सह ज्योति क्लस्टर समूह की अध्यक्षा भी है। वह अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली एक सुशील, मृदुभाषी एवं गंभीर विचार वाली महिला है। उन्होंने पंचायत समिति की सदस्या पद जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, पर अपने प्रतिद्वंदि पुरूष उम्मीदवार कमल चौपाल को कड़े मुकाबले में पराजित करते हुए एक मत से विजय प्राप्त कर नारियों का सर गर्व से ऊँचा किया। इतना ही नहीं अपनी सहजता, लगनशीलता एवं गंभीरता की वजह से वे क्लस्टर की अध्यक्षा तो बनी हीं साथ ही साथ दीप परियोजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, मुखिया, स्थानीय विधायक आदि के सहयोग से प्रखण्ड प्रमुख के पद के लिए भिखारीघाट क्षेत्र से खड़ी हुईं। यह क्षेत्र आपसी रंजिश की वजह से आपराधिक घटनाओं के कारण अतिसंवेदनशील माना जाता है। संजू ने निडरता पूर्वक समूहों की महिलाओं के साथ प्रचार किया और विजय हासिल कर इतिहास रचा जिसे स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण एवं जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है।

केस स्टडी संकलन एवं परिकल्पना
इफिशी फाउंडेशन, पटना

महिला विकास निगम
(समाज कल्याण विभाग ,बिहार)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर.सी.सिंह पथ,
बेली रोड, पटना
फोन : 0612-2234096, 2200695, 2207843